

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री कमलेश कुमार खण्डेलवाल
जाति खण्डेलवाल
निवासी मण्डार तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेवदर

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 53 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की सामिल म जाशी एर
22.08.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 15.03.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा दिनांक 01.07.2021 को की गई शिकायत की जांच की प्रमाणित प्रति एवं उक्त जांच किन-किन अधिकारियों के द्वारा की गई, उनके पद व नाम की प्रमाणित प्रति एवं उक्त जांच में क्या-क्या कार्यवाही की गई, उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 15.03.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांत द्वारा दिनांक 01.07.2021 को की गई शिकायत की जांच की प्रमाणित प्रति एवं उक्त जांच किन-किन अधिकारियों के द्वारा की गई, उनके पद व नाम की प्रमाणित प्रति एवं उक्त जांच में क्या-क्या कार्यवाही की गई, उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

